

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 30.12.11

अधि० सं०-1/स्था.(प्रो.)-10-08/2011-6223/ दिनांक 26.12.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री जया नाथ झा (जन्म तिथि-03.03.56, गृह जिला-मधुबनी) भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ जल सर्वेक्षण अनुमंडल, दुमका को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान में उप निदेशक (चा.प्र.), भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल दुमका के पद पर स्वतंत्र चालू प्रभार में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. श्री झा को उप निदेशक स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा एवं इन्हें अपने कोटि का वेतन देय होगा।

3. कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें उप निदेशक (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार इन्हें भूगर्भ शास्त्री के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।

4. उप निदेशक के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। निर्धारित अर्हता रखनेवाले वरीयता क्रम में उपर के पदाधिकारी कालान्तर में उपलब्ध होने पर इन्हें उच्चतर पद से मुक्त करते हुए वरीय को इस पद पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

5. भविष्य में इनकी निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर इन्हें भूगर्भ शास्त्री के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

6. यह कार्यकारी व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है एवं यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का न तो आधार होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 6223

राँची, दिनांक- 30.12.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पचीस) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।



(दिनेश उपाध्याय)


सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक—

राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि—महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख— I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. संबंधित भूगर्भ शास्त्री अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार अविलम्ब सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।
3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारी का माह जनवरी 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।


 (दिनेश उपाध्याय)
 सरकार के उप सचिव(प्र०)